

- आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वास्तुतः किराये की त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अकिंत इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थियों ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज					स्वीकृत किया गया इन्द्राज		
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम का नाम	खता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
अहीरी का वास	26	घासी पुत्र बौदू	335	5.25	घासीराम पुत्र	335	5.25
		जाति अहीर (थाढ़ा)	399		बौदूराम जाति	399	
		सा. देह खातेदार	40		अहीर (थाढ़ा)	40	
		शौच बदस्तूर	343		सा. देह खातेदार	343	
					शौच बदस्तूर		

क्रमांक :- 367
20/10/21

प्रतिनिधि पालक :-

उप तहसीलदार, नौलासर

शिबिर प्रभाषी
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडरवाला)
PGKSA-2021, प.स. नौलासर
दिनांक :-

क्रमांक :-

प्रतिनिधि पालक :-

1. उक्त हलक को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्वादाचार पालक चुनौतिगत करें।

उप तहसीलदार, नौलासर